



2026:AHC: 171860

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 2351 वर्ष 2026

मिस्टर ए किशोर

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद नदीम

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. नोटिस तामील होने के बावजूद, प्रथम सूचनादाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. द्वारा आज न्यायालय में दाखिल किया गया प्रतिशपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
3. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
4. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने नैसर्गिक अभिभावक के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 (जिसे इसके पश्चात "जे.जे. अधिनियम, 2015" कहा गया है) की धारा 102 के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करने और आपराधिक किशोर अपील संख्या 71 वर्ष 2026 "अपचारी ए" बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य में विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06.03.2026 को अपास्त करने तथा थाना मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद में बी.एन.एस. की धारा 137(2), 87, 64 और पॉक्सो

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अधिनियम की धारा 3/4 के साथ-साथ एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 186 वर्ष 2025 में किशोर न्याय बोर्ड, फर्रुखाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2026 को अपास्त करने की मांग की गई है, जिसके द्वारा दोनों अवर न्यायालयों ने किशोर न्याय बोर्ड, फर्रुखाबाद के समक्ष विचारण के लंबित रहने के दौरान, आदेश दिनांक 06.02.2026 के माध्यम से उसे किशोर घोषित करने के बावजूद पुनरीक्षणकर्ता के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

5. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस वाद में, वह निर्दोष है और उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कथित घटना के समय, पुनरीक्षणकर्ता की आयु 17 वर्ष निर्धारित की गई थी। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि पीड़िता की आयु लगभग 17 वर्ष थी और वह पुनरीक्षणकर्ता के संपर्क में थी और बातचीत करती थी। जब उसके माता-पिता ने आपत्ति जताई, तो वह अपने घर से अकेले चली गई। वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उसके साथ किसी भी प्रकार के बल या हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत पीड़िता का बयान विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया था, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह एक वर्ष की अवधि से पुनरीक्षणकर्ता के साथ बातचीत करती थी, जिस पर उसके माता-पिता ने आपत्ति जताई थी और उसे पीटा भी था, यही कारण था कि वह 14.06.2025 को मोहम्मदाबाद गई, फिर वहां से ट्रक द्वारा फर्रुखाबाद और बस द्वारा एटा गई जहां पुनरीक्षणकर्ता मिला। वे दोनों बस से दिल्ली गए जहां वे 15 दिनों तक एक कमरे में रहे। उसके पश्चात वे दोनों हरिद्वार गए और जहां उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह कर लिया। जिला परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्तमान अपचारी के प्रतिकूल कुछ भी नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। विद्वान जे.जे. बोर्ड ने जमानत प्रार्थना पत्र तय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील खारिज करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया, जिसे विधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अपचारी 05.12.2025 से किशोर संप्रेक्षण गृह में है और उसकी मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पड़ रहा है, इसलिए, जे.जे. बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने और आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने पूर्वोक्त प्रार्थना का विरोध किया।

7. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों, अभिलेख के परिशीलन, पीड़िता और अपचारी की आयु, प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु, बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत पीड़िता के बयान और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों और डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि जे.जे. बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया है, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया है। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

8. तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक **09.02.2026** और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक **06.03.2026** को एतद्वारा अपास्त किया जाता है और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

9. यह निर्देश दिया जाता है कि **मिस्टर ए (किशोर) पुत्र स्वर्गीय राम बरन** को पुनरीक्षणकर्ता (अपचारी के विधिक अभिभावक) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणकर्ता/नैसर्गिक अभिभावक एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा होने पर पुनरीक्षणकर्ता को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी या किसी भी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर अपराध को नहीं दोहराएगा।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता/नैसर्गिक अभिभावक आगे इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि किशोर उचित स्तर पर अपना अध्ययन जारी रखेगा, जिसे उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के अलावा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणकर्ता/नैसर्गिक अभिभावक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसे आवधिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा जो किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

14 अगस्त, 2026

टी.एस.